न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (S.D.O.) शिवगंज, जिला–सिरोही

पीठासीन अधिकारी श्री नीरज मिश्र, R.A.S

राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या– 112/2023

प्रार्थीगण		अप्रार्थी
वीराराम पुत्र चेलाराम जी जाति मीणा निवासी देवली तह0 शिवगंज जिला सिरोही	बनाम	राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शिवगंज व अन्य

विद्वान अधिवक्ता श्री राजकुमार चित्तारा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

–:निर्णय:–

दिनांक 15.07.2025

अधिवक्ता मय प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध अप्रार्थी का इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की कृषि आराजी मौजा कुकडीखेडा पटवार हल्का बादला भू–अभिलेख निरीक्षक शिवगंज, तहसील शिवगंज के खसरा नम्बर 4/44 मी. रकबा 2.4281 हैक्टयर किस्म बंजर भूमि आई हुई हैं। जो जमाबंदी संवत् 2074–77 के अनुसार उक्त कृषि आराजी राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी के नाम से दर्ज है तथा खसरा कृषि भूमि के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है लेकिन वर्तमान खसरा नं. 4/8 व पूर्व खसरा नं. 4/44 मी. जो प्रार्थी के खातेदारी व कब्जे काश्त वाली कृषि भूमि है। तथा खसरा सं0 4/10 जो अन्य खातेदार की खातेदारी वाली कृषि भूमि पर राजस्व रेकर्ड अनुसार प्रार्थी को काबिज बताया गया है। शिवगंज तहसील का राजस्व रेकर्ड ऑन लाईन होते समय पटवार हल्का बादला व राजस्व अधिकारी की गलती से पूर्व की मौका स्थिति अनुसार प्रार्थी व अन्य खातेदार के काबिज काश्त को नजर अंदाज करने से ऑन लाईन नक्शा में प्रार्थी का खसरा अन्य खातेदार में दर्शाया एवं अन्य खातेदार का खसरा प्रार्थी में दर्शाया गया है। प्रार्थी व अन्य खातेदार के खसरे का क्षैत्रफल भी असमान है। प्रार्थी व अन्य खातेदार के बीच कृषि भूमि की सीमा को लेकर विवाद होने पर आवेदन करने पर दिनांक 18.10.2023 को अप्रार्थी के समक्ष आवेदन करने पर भी न तो सीमाज्ञान किया गया और न ही राजस्व रेकर्ड में शुद्धी कर अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी को ऑनलाईन नक्शें में तरमीम हेतु राजस्व रेकर्ड में सुधार हेतु हिदायत देने पर प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। पूर्व खसरा नं0 4/44 मी व वर्तमान खसरा नं0 4/08 की कृषि आराजी मौके पर प्रार्थी के कब्जे काश्त में है तथा खसरा नं0 4/10 की कृषि आराजी मौके पर अन्य खातेदार के कब्जे काश्त में है परन्तु राजस्व रेकर्ड में गलत तरमीम होने से वाद विवाद की स्थिति पैदा हुई है। जबकि पूर्व खसरा नं. 4/44 मी. व वर्तमान खसरा नं0 4/08 की कृषि आराजी पर प्रार्थी अपने पूर्व रसाधिकारीयों के समय से निरन्तर व निर्बाध रूप से काबिज काश्त करते आ रहे है। जिसकी पुष्ठी गांव के मौजिज व्यक्तियों व अडौस पडौस के खातेदारों से होती है। प्रार्थी राजस्व कर्मचारीयों द्वारा राजस्व रेकर्ड में गलत तरमीम को शुद्धी करवाने का अधिकारी है। अतः प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त आराजी का जमाबंदी व नक्शा ऑनलाईन में गलत तरमीम को दुरूस्त करने का निवेदन किया है।

प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार शिवगंज से रिपोर्ट चाही गई जिस पर तहसीलदार शिवगंज ने रिपोर्ट में अवगत कराया है कि मौजा कुकडीखेडा के खसरा नं. 4/10 रकबा 2.4281 हैक्टयर किस्म बंजर प्रार्थी के नाम से दर्ज है। प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि के खसरा [illegible] 4/10 रकबा 2.4281 हैक्टयर की वर्तमान ऑनलाईन नक्शें में तरमीम DILRM[illegible] तक की गई है। खसरा नं0 4/44 मीन की तरमीम नक्शा लटठा में की गई है। [illegible] 4/44 मीन से ऑनलाईन सेग्रीगेशन के समय नया खसरा नं. 4/[illegible] जिसकी तरमीम नक्शा [illegible] ट्रेस के अनुरूप नहीं हुई है। वर्तमान में खसरा नं. 4/[illegible]0 रकबा 2.4281 हैक्टयर के स्थान पर खसरा नं0 4/08 की तरमीम कर दी गई है। जो कि त्रुटिपूर्ण है। खसरा नं0 4/8 वर्तमान में कन्हैयालाल सुथार पुत्र ताराजी हिस्सा पूर्ण जाति सुथार निवासी गलथनी हाल अहमदाबाद के नाम दर्ज है। खसरा नं. 4/8 की तरमीम नक्शा लटठा में नहीं की हुई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeraj Mishra
Date: 2025.10.27 13:10:44 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज- (सिरोही)

लगातार पेज–2

अतः खसरा नं0 4/8 की तरमीम के संबंध में खातेदार श्री कन्हैयालाल का प्रत्युत्तर अपेक्षित है। जिस पर अप्रार्थी कन्हैयालाल ने अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अवगत कराया है कि प्रार्थी वीराराम ने खसरा नं0 4/10 की तरमीम बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया है जिस पत्र मैं सहमति देता हूँ कि प्रार्थी की तरमीम सही जगह की जावे परन्तु मेरे खसरा नं0 4/4, 4/5, 4/6, 160/4, 4/153 की गलत तरमीम को भी सुधारा जावे। जिससे प्रार्थी अधिवक्ता को अप्रार्थी कन्हैयालाल को भी पक्षकार बनाने हेतु आदेशित किया जिस पर उन्होंने अप्रार्थी कन्हैयालाल को पक्षकार बनाने हेतु संशोधित अनवान पेश कर इन्हें नोटिस जारी किया गया। दिनांक 02.07.2025 को अप्रार्थी कन्हैयालाल के डाक की कंसाईन रिपोर्ट पेश की जिसमें नोटिस प्राप्ति की रिपोर्ट प्राप्त हुई परन्तु वे उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर इनका जवाब बंद किया गया।

दिनांक 02.07.2025 को प्रार्थी अधिवक्ता व तहसीलदार शिवगंज की बहस सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तरमीम शुद्धी किये जाने का कथन किया। हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया तो हमने पाया कि दस्तावेजी साक्ष्यों से भी प्रार्थी अधिवक्ता के कथन की पुष्टि होती है अतः हम वर्तमान तरमीम को दुरूस्त किया जाना न्यायोचित समझते है।

–::आदेश::–

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट स्वीकार योग्य होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वर्तमान तरमीम को खारिज किया जाता है एवं तहसीलदार शिवगंज को आदेश दिया जाता है कि राजस्व रिकॉर्ड में **मौजा कुकडीखेडा पटवार हल्का बादला तहसील शिवगंज के खसरा नम्बर 4/10 (पूर्व खसरा नं0 4/44 मी.) रकबा 2.4281 हैक्टयर भूमि का माफिक कब्जा व नक्शा लटठा अनुसार तरमीम त्रुटि को दुरूस्त किया जावे। स्वीकृत प्रस्तावित नक्शा आदेश का अभिन्न अंग माना जावे।** तहसीलदार शिवगंज को उक्त निर्णय तथा दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां भेजकर पालना रिपोर्ट मंगवाई जावे। पत्रावली फेसल शुमार होकर नं0 से कम हो।

यह निर्णय आज दिनांक 15.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(नीरज मिश्र, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.)
शिवगंज

उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरोही)

क्रमांक/कोर्ट/2025/ 516
प्रतिलिपि पालनार्थ हेतु :–
तहसीलदार शिवगंज ।

दिनांक 15.07.2025

उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.)
शिवगंज

उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरोही)

Signature Not Verified

Digitally signed by Neeraj Mishra
Date: 2025.10.27 13:10:44 IST
Reason: SelfAttested